# न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**

**पत्रावली संख्या : 250/11(प्रा0पत्र)**

**GCMS No. : 2011/00005**

**अनवान्**

1. श्री मुकीम मोहम्मद पिता अल्लानुर मुसलमान निवासी सिन्धियों का बडगांव तहसील वल्लभनगर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. निदेशक राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड धाबाई जी की हवेली हवामहल बाजार जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. श्री अशोक पिता रामलाल डांगी निवासी घासा तहसील घासा।
4. श्री बाबु खान पिता सरदार खान मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजपेरोकार मावली, विपक्षी संख्या 2
3. श्री फारूक मोहम्मद, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 10.04.2026**

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 3095 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में राज. भूदान बोर्ड के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी का सजरा निम्न प्रकार है :–

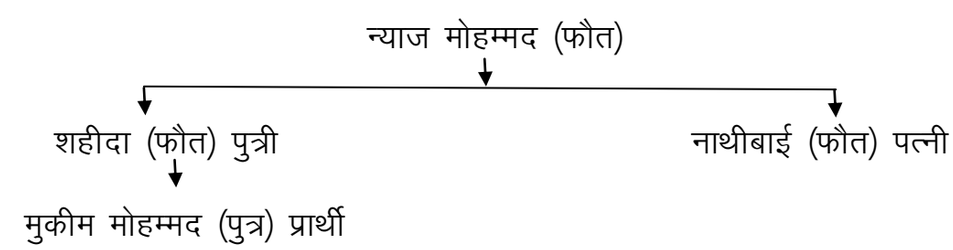

उक्त सजरे अनुसार न्याज मोहम्मद जी के वारिस शहीदा जायन्दा पुत्री एवं पत्नी नाथीबाई थी, शहीदा एवं नाथीबाई दोनो का स्वर्गवास हो चुका हैं। शहीदा का मैं प्रार्थी मुकीम मोहम्मद पुत्र हूं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पूर्व में मुझ प्रार्थी के नाना श्री न्याज मोहम्मद पिता खान मोहम्मद को भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा ऐलोट की गई थी उसके पश्चात् मुझ प्रार्थी के नाना श्री न्याज मोहम्मद जी लगातार निरन्तर उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे थे और मुझ प्रार्थी के नाना ने उक्त कृषि भूमि को काश्त योग्य बनाने में भी हजारों रूपयों का खर्चा किया है और भूमि को उपजाऊ बनाई। मुझ प्रार्थी के नाना श्री न्याज मोहम्मद जी के इन्तकाल के पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने विरासत से नामान्तरकरण खोलकर उक्त कृषि भूमि को मुझ प्रार्थी की नानी नाथीबाई बेवा न्याज मोहम्मद के नाम पर विरासत से अंकित कर दी जिसका अंकन सम्वत् 2048 से 2051 की नकल जमाबन्दी में स्पष्ट हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का तत्कालीन खातेदार नाथीबाई बेवा न्याज मोहम्मद जो मुझ प्रार्थी की नानी है, ने अपने जीवनकाल में मुझ प्रार्थी के पक्ष में मेरी बाल्यावस्था में एक वसीयतनामा दिनांक 01.06.1994 को 5/– पांच रूपये के स्टाम्प पर सम्पादित कर उक्त वर्णित कृषि भूमि की वसीयत मुझ प्रार्थी के पक्ष में कर दी तथा मुझ प्रार्थी की नानी नाथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् मुझ प्रार्थी ने तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से उक्त कृषि भूमि को वसीयत के आधार पर मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया था किन्तु राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि को वसीयत के आधार पर मुझ प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं की हैं जबकि मैं प्रार्थी उक्त भूमि पर मेरी नानी नाथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् से निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूं और आज भी मुझ प्रार्थी का ही कब्जा भुगत भोग चला आ रहा है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल कब्जा नहीं हैं।
5. यह कि वर्ष 2007 में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने भुलवश खातेदार नाथीबाई बेवा न्याज मोहम्मद के कोई वारिस नहीं होना बताते हुवे उक्त भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 3085 दिनांक 02.03.2007 को पुनः राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम पर दर्ज कर दी, जो गलत होकर उक्त नामान्तरकरण मुझ प्रार्थी के मुकाबले शून्य व बेअसर है जबकि उक्त भूमि खातेदार नाथीबाई द्वारा मुझे वसीयत में दी गई है और खातेदार नाथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् से उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को वसीयत के आधार पर अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड

में अंकन कराने का अधिकारी हूं। जिसके लिए माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर वसीयत के आधार से नाथीबाई बेवा न्याज मोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात् से लगातार निरन्तर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं और आज भी काबिज हूं लेकिन वर्ष 2007 में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने नाथीबाई बेवा न्याज मोहम्मद के कोई वारिस नहीं होना बताकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 3085 दिनांक 02.03.2007 के जरिये उक्त भूमि पुनः राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम पर अंकित कर दी गई और विपक्षी संख्या 1, 2 इस अंकन का फायदा उठाकर मुझे अपने वसीयत में प्राप्त भूमि से नाजायज रूप से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम पर आंवटन करने का प्रयास कर रहे है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई विधिक हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें, उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर आंवटन नहीं करें, मुझ प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, अगर विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

7. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 17.10.2011 को पैदा हुआ जब विपक्षीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों ने मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को विपक्षीगण किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आंवटित नहीं करे, मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रेकार्ड में नहीं करें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा अपनी बहस में स्वयं को खातेदार होना बताकर खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की सकती का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थी के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में भूदान बोर्ड के नाम दर्ज थी जिसे न्याज मोहम्मद पिता खान मोहम्मद को आंवटन की गई। न्याय मोहम्मद के निधन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 3095 विरासत के आधार पर नाथीबाई के नाम पर दर्ज हुई एवं नाथीबाई द्वारा 01.06.1994 को 5/– रूपये स्टाम्प पर प्रार्थी को वसीयत कर दी जिसे प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता हैं।

पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 के अवलोकन से जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि नाथीबाई के नाम दर्ज थी जो नाथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् नाथीबाई के कोई वारिस नहीं होने से नामान्तरण संख्या 3085 दिनांक 02.03.2007 से वादग्रस्त भूमि पुनः भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त भूमि वर्ष 2007 में भूदान यज्ञ बोई के नाम दर्ज हो चुकी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद न्यायालय हाजा में दिनांक 21.10.2011 में पेश किया था जो कि लगभग 4 वर्ष पश्चात् पेश किया। प्रार्थी द्वारा नाथीबाई के निधन के पश्चात् वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त नामान्तरकरण के पश्चात् भी लगभग 4 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण अंकित नहीं किया।

प्रार्थी द्वारा वसीयतनामा (इकरार) के आधार पर घोषणा चाही गई है परन्तु प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश वसीयतनामा (इकरार) अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है

जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में साबित नहीं किया जा सकता हैं, ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज को साबित करवाने का प्रयास किया गया। उक्त बिन्दू को मूल वाद में साबित किया जायेगा। दौराने बहस यह भी ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन हैं। अतः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन होने से राजस्व मण्डल के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं हैं। मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के अवलोकन से यह भी जाहिर आया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में सभी काश्तकार पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के क्रमांक प.12/3राज/भुदान/जांच/2024/254–254 दिनांक 07.02.2024 की पालना में भुसंपरिवर्तन/हस्तान्तरण/नामान्तरण पर अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश पारित किये हुए हैं।

इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के यहां जांच लम्बित है इसलिए यदि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया जाता है तो इससे प्रकरण में दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 4 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वसीयतनामें के आधार पर घोषणा चाही गई हैं। वर्तमान में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। उक्त बिन्दू के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा हों। वर्तमान में विपक्षी संख्या 4 वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि विपक्षी संख्या 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् माननीय अपर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से यदि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो इससे प्रकरणों में दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 4 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वसीयत नामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया। वर्तमान में विपक्षी संख्या 4 खातेदार होने से यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा

संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी के वसीयत के आधार पर घोषणा सम्बन्धी हैं जिसे इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता है जिसे मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(FT) मावली**